

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अबन्दुबर - विसम्बर, 2000 सत्र

## विनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक ३० नवम्बर, २००० (अग्रहायण ९, १९२२)

समय १०.३० बजे दिन

### १. प्रबन्धन

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### २. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री इन्हं जीत कुमार, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा ३९ की उपधारा (२) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ३५ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९९-२००० पटल पर रखेंगे।

### ३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, आदिम जाति कल्याण विभाग की शिक्षण संस्थाओं में प्राचार्यों के अनेक पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदेश जिले के लटेरी नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर तोड़-फोड़ किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### ४. वर्ष २०००-२००१ की द्वितीय अनुपूरक मार्गों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -

“दिनांक ३१ मार्च, २००१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या १, २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १७, १९, २०, २१, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३९, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४७, ५२, ५४, ५६, ६१, ६४, ६५, ६७, ७३, ७९, ८० तथा ८२ के लिए राज्य की साधित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निम्न राज्यपाल महोक्य को कुल मिलाकर दो सौ लीस कराइ, चौबीस लाख, अद्धानवे हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय”।

२ घन्टे  
३० मि.

### ५. शासकीय विधि विवेयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २००० (क्रमांक ३७ सन् २०००) का पुरास्थापन\* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विवेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :  
दिनांक : २९ नवम्बर, २०००

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।

\* अनुपूरक मार्गों का प्रस्ताव स्वैकृत होने के तुरन्त पश्चात्।